पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2017 का सिविल पुनरीक्षण संख्या 120
मे
2017 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1913

==========

अनीता कुमारी उर्फ अनीता देवी पत्नी डॉ. प्रणय राज शरण सि निवासी बी-404, चारमीनार अपार्टमेंट, रोड नंबर 12, राजेंद्र नगर, थाना कदमकुआं, जिला- पटना-800016

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री आनंद शंकर सिंह पिता याचिकाकर्ता को ज्ञात नहीं है
2. ज्योति शंकर सिंह पिता आनंद शंकर सिंह
3. नीति शंकर सिंह पिता आनंद शंकर सिंह
4. संध्या देवी पिता आनंद शंकर सिंह
5. चित्रा देवी पिता आनंद शंकर सिंह
6. अनुराधा सिंह पिता आनंद शंकर सिंह
7. अंजू कुमारी पिता आनंद शंकर सिंह सभी बग बेरा कॉलोनी, क्वार्टर नंबर 1, ब्लॉक नंबर 94/2, कुंवर सिंह मैदान के पास रोड नंबर 3, जमशेदपुर, झारखंड के निवासी हैं।
8. श्री राणा राम सिंह पिता स्वर्गीय रघुबीर सिंह निवासी: मोहल्ला रामजी चक दीघा, पी. ओ. बटागंज, थाना दीघा, जिला पटना।
9. श्री बिक्रम कुमार पिता श्री नरेंद्र कुमार, ग्राम चमगढ़ निवासी पी. ओ. जितापुर, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा।
10. श्रीमती पनवती सिंह, पति श्री गदाधर प्रसाद, निवासी: ग्राम और पी. ओ. बलुआ, थाना ब्रह्मपुर, जिला भोजपुर, वर्तमान निवास 252, नई पाटलिपुत्र कॉलोनी, थाना पाटलिपुत्र, जिला पटना।
11. कुमार अनिल सिंह पिता स्वर्गीय सत्य नारायण सिंह, सचिव मैसर्स निराला सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, निवासी एकवाना कोठी, केशरी नगर पी. ओ. केशरी नगर, थाना राजीव नगर, पटना।
12. डॉ. बिभा सिंह, पति स्वर्गीय उमेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी: शिवालय कुटिर, केशरी नगर रोड, पी. ओ.-केशरी नगर, थाना पाटलिपुत्र जिला-पटना-24
13. सुमि सिंह, पिता स्वर्गीय उमेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी: शिवालयम कुटीर, केशरी नगर रोड, पी. ओ.-केशरी नगर, थाना पाटलिपुत्र जिला - पटना-24

14.अनुराग सिंह, पिता स्वर्गीय उमेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी: शिवालयम कुटीर, केशरी नगर रोड, पी. ओ.-केशरी नगर, थाना पाटलिपुत्र जिला-पटना-24

... .प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री एन. पी. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. पी. सिंह, अधिवक्ता श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी सेट 1 के लिए	:	श्री राकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री शैलेंद्र कुमार, अधिवक्ता

==========

याचिका - शीर्षक वाद में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसके तहत कुछ प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका, जिसमें शीर्षक वाद में एकमात्र वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, को स्वीकार कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वाद समाप्त हो गया था और इसलिए प्रतिस्थापन की अनुमति देने वाला आदेश गलत था।

निर्णय - विवादित आदेश वाद की समाप्ति के पहलू या देरी के विवरण, जिसे विचार कर क्षमा किया गया, के बारे में पूर्णतः मौन है। यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश एक संक्षिप्त आदेश है, जिसमें न्यायिक मंथन का कोई संकेत नहीं है और यह एक गैर-विस्तृत आदेश होने के कारण स्वीकार्य नहीं हो सकता। (पैरा 6)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा 11)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तिथि - 16-01-2025

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और 1st सेट उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना ।

02. याचिकाकर्ता ने 2012 के टाइटल सूट संख्या 512/2012 में पटना के विद्वान उप न्यायाधीश-I द्वारा पारित दिनांक 20.06.2017 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत टाइटल सूट में एकमात्र वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए प्रतिवादी प्रथम सेट की ओर से दायर याचिका को अनुमति दी गई है ।

03. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि टाइटल सूट संख्या 512/2012 में एकमात्र वादी की मृत्यु 18.04.2015 को हुई और एकमात्र वादी, लीला देवी के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए क्रमशः 15.07.2015 और 02.07.2016 पर दो याचिकाएं दायर की गई हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 15.07.2015 की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त याचिका में केवल मृतक-वादी के पति और बेटों को एकमात्र वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, जबकि उनकी बेटियों को कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में नामित नहीं किया गया था। इसके बाद, 02.07.2016 पर, दिनांकित 15.07.2015 याचिका में पहले से ही नामित व्यक्तियों के साथ मृतक वादी की बेटियों के प्रतिस्थापन के लिए एक और याचिका दायर की गई थी। लेकिन उक्त आवेदन पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपशमन को दरकिनार करने के लिए बिना किसी आवेदन के दायर किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान निचली अदालत ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि उपशमन पहले ही हो चुकी है और केवल यह उल्लेख करके गुप्त तरीके से आवेदन की अनुमति दी कि सीमा को माफ कर दिया गया है और चर्चा किए गए तथ्यों के आलोक में प्रतिस्थापन याचिका की अनुमति है। इस तरह के आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता ।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***महंत निरंजन दास बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति*** के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसकी रिपोर्ट ***एआईआर 1992 एससी 492*** में

दी गई है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब मृत्यु की जानकारी होती है, तो जानकारी की तारीख के 90 दिनों के बाद दायर किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप एकमात्र अपीलार्थी की मृत्यु के बाद अपील में उपशमन होगा ।

04. उत्तरदाता-1 समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है और इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि, वास्तव में, मृतक वादी के पति और बेटों द्वारा 15.07.2015 पर पहला आवेदन दायर किया गया था और यह समय सीमा के भीतर था और उपशमन होने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके बाद, 02.07.2016 पर एक और आवेदन दायर किया गया था और उक्त आवेदन जिसमें देरी को माफ करने के लिए समर्थन सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर एक याचिका के साथ किया गया था। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इसके बाद 03.12.2016 पर, उपशमन को दरकिनार करने के लिए एक और याचिका दायर किया गया था, जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड पर कोई उपशमन याचिका नहीं थी । विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता दिनांक 15.07.2015 को प्रतिस्थापन के लिए याचिका दायर करने से इनकार करने का प्रयास कर रहा है, यह तथ्य रखते हुए कि प्रतिस्थापन के लिए याचिका दिनांक 02.07.2016 को दायर की गई थी, जो सही नहीं है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि मूल आवेदन दिनांक 15.07.2015 में प्रार्थना मृतक-वादी के पति और दो बेटों की ओर से प्रतिस्थापन के लिए थी, जबकि दूसरा आवेदन दिनांक 02.07.2016 मृतक-वादी के कानूनी वारिसों के रूप में प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम जोड़कर प्रतिस्थापन के लिए दायर किया गया था। 4 से 7 तक मृतक-वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों के रूप में पक्षों की श्रृंखला में, हालांकि प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पहले से ही रिकॉर्ड में था और यह एक गलत दलील है कि उक्त याचिका में प्रतिस्थापन के लिए कोई अनुरोध नहीं था। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रथम समूह प्रस्तुत करता है कि विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

05. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतिकरण पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

06. विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हालांकि विद्वान निचली अदालत ने उन तारीखों का उल्लेख किया है जिन पर प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दायर किए गए हैं, विवादित आदेश में दिनांक 03.12.2016 में कथित रूप से उपशमन को खारिज करने के लिए दायर याचिका के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है। विवादित आदेश उपशमन के पहलू या यहां तक कि देरी के विवरण पर स्पष्ट रूप से मौन है जिस पर विचार किया गया था और जिसे माफ कर दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विवादित आदेश एक गूढ़ आदेश है जो न्यायिक दिमाग के किसी भी अनुप्रयोग को नहीं दर्शाता है और पूरी तरह से अकारण आदेश होने के कारण, इस तरह के आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

07. ***राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***एआईआर 2003 एससी 4664*** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कारण प्रत्येक निष्कर्ष की धड़कन है।

08. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और एन. आर. बनाम मसूद अहमद ख़ान और अन्य (2010) 9 एस. सी. सी. 496*** में रिपोर्ट किए गए मामले में माना है कि निर्णयों के समर्थन में कारण ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। कारणों या रबर-स्टाम्प कारणों के ढोंग को एक वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

09. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड*** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय में तर्कपूर्ण न्यायिक आदेशों के महत्व पर जोर दिया गया है और विस्तार से चर्चा की गई है कि तर्क न्याय की आत्मा और हृदय क्यों है। इसलिए, मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वत निचली अदालत का आदेश निष्कर्ष के समर्थन में कारणों को दर्ज किए बिना है और कारणों को दर्ज करने में विफलता आदेशों को अस्थिर बनाती है। वास्तव में कारणों को दर्ज नहीं करना न्याय से इनकार करने के बराबर है चाहे वह किसी प्रशासनिक प्राधिकरण, अर्ध न्यायिक निकाय या न्यायिक निकाय द्वारा हो।उपरोक्त अधिकारी अपने निष्कर्ष के समर्थन में कारण बताए बिना आदेश पारित नहीं कर सकते थे, ख़ासकर यदि यह किसी न्यायिक प्राधिकरण द्वारा किया गया आदेश हो ।

10. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष में गए बिना, विद्वान उप-न्यायाधीश-I, पटना द्वारा शीर्षक मुकदमा संख्या 512/2012 में पारित दिनांक 20.06.2017 के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामले को नए सिरे से विचार के लिए विद्वत विचारण अदालत को भेज दिया जाता है और दोनों पक्ष विद्वत विचारण अदालत के समक्ष सभी मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे पक्षों को सुनने के बाद एक तर्कपूर्ण और सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।

11. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है ।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।